

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 05/2022

रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/6

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स:-


1. श्री शौकत अली पुत्र अमजद अली निवासी 17, मुसलमान मोहल्ला, नडियादा बडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा एवं निवासी मुकाम नडियादा बडा, पो.मेटवाला, कोटरा बडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (ऋणी/ बंधक कर्ता)
2. श्रीमती नजमा बी पत्नी श्री शौकत अली निवासी 17, मुसलमान मोहल्ला, नडियादा बडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (सहऋणी)
3. श्री फिरोज अली पुत्र श्री लीखायत अली निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर एवं निवासी उपखण्ड कार्यालय सलुम्बर तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (जमानती)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 11.05.2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री शौकत अली पुत्र अमजद अली निवासी 17, मुसलमान मोहल्ला, नडियादा बडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा एवं निवासी मुकाम नडियादा बडा, पो.मेटवाला, कोटरा बडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (ऋणी/ बंधक कर्ता) 2- श्रीमती नजमा बी पत्नी श्री शौकत अली निवासी 17, मुसलमान मोहल्ला, नडियादा बडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (सहऋणी) 3- श्री फिरोज अली पुत्र श्री लीखायत अली निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर एवं निवासी उपखण्ड कार्यालय सलुम्बर तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (जमानती) को दिनांक 28.12.2018 को राशि रुपया 17,50,000 (अक्षरे सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान  सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 21.10.2020 को अक्रियान्वित आरित में वर्गीकृत कर दिया है।



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 03-03-2021 को कुल बकाया राशि 16,80,600 रु. (सोलह लाख अस्सी हजार छः सय रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरिटी के रूप में अपनी अवल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री शौकत अली पुत्र अमजद अली की सयुक्त सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 49, सर्वे नं. 293 ग्राम नडियादा बडा, ग्राम पंचायत कोटडा बडा, पंचायत समिति गढी, तहसील गढी जिला बांसवाडा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 1536 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में सी.सी सडक, पश्चिम में देवा का मकान, उत्तर में अजीज खों का मकान, दक्षिण में रहमत उल्ला खों का मकान है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 19-03-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 21.01.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नोटिस दिनांक 11.02.2022 को बाद तामिल प्रस्तुत हुए किन्तु अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 3 का नोटिस अदम तामिल इस आशय के प्राप्त हुआ कि अप्रार्थी वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में बंद है।

अतः नोटिस बाद तामिल प्रस्तुत होने एवं अप्रार्थीगण सं 1 व 2 को समुचित अवसर प्रदान करने के अभाव में अनुपस्थित रहे हैं। अतः अप्रार्थीगण सं 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।



कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी सं 3 जमानती होकर प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है। इनको सुना जाना न्यायोचित प्रतित नही होता

दिनांक 11.05.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



Y. Meel

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बासवाड़ा (राज.)
बासवाड़ा